राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—6406/2022

सरला देवी

—अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अति. निदेशक (प्रशा.) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
4. ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.01.2023

<u>उपस्थित —</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गरसा, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 09.12.2022 (अनुलग्नक—1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2022 को निदेशक (अरापत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा निरस्त किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण पूर्ण किया था, जिसके उपरान्त उसने कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर को दी थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.12.2022 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीमाधोपुर के अधीन किया गया, जिस पर अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत कर कार्य ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अपीलार्थी के पदस्थापन व कार्य ग्रहण करने के

पश्चात् त्रुटिपूर्ण तरीके से उसका पदस्थापन आदेश निरस्त किया गया है।

4. उनका तर्क है कि पदस्थापन आदेश के उपरान्त अपीलार्थी द्वारा कार्य ग्रहण कर लिया गया, इसके पश्चात् पदस्थापन आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने से पूर्व अपीलार्थी खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीमाधोपुर में कार्यरत था एवं प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात उसने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की। ऐसे में पदस्थापन आदेश विधिपूर्ण पारित किया गया था, जिसे निरस्त किया जाना त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.12.2022 (अनुलग्नक–1 व 2) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 12.12.2022 (अनुलग्नक–3) को अपीलार्थी के सम्बन्ध में अपास्त किया जावे।

5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर के द्वारा जारी पदस्थापन आदेश दिनांक 02.12.2022 (अनुलग्नक–4) को निरस्त किये जाने का आलोच्य आदेश निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 09.12.2022 (अनुलग्नक–1) को पारित किया गया है, जिसमें नोट संख्या–4 निम्न प्रकार से अंकित किया गया है :–

> "समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि पूर्व में भी आपको समय–समय पर निर्देशित किया जा चुका है कि आप अपने स्तर पर किसी भी कार्मिक का पदस्थापन नहीं करें, परन्तु अभी भी उक्तानुसार आदेश जारी किया जाकर, आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। पुनः आप सभी को स्पष्ट निर्देशित किया जाता है कि ऐसे समस्त कार्मिक, जो किसी भी प्रशिक्षण उपरान्त अथवा अन्य किसी कारण से बिना निदेशालय के संज्ञान में लाये, कार्य ग्रहण कर रहे हैं अथवा कर चुके हैं, उन सभी को तत्काल

विधिवतः पदस्थापन हेतु निदेशालय में कार्य ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करें।''

7. उपर्युक्त नोट से स्पष्ट है कि पूर्व में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निदेशालय द्वारा यह निर्देश जारी किये हुए हैं कि वे अपने स्तर पर किसी भी कार्मिक का पदस्थापन नहीं करें। प्रशिक्षण उपरान्त किसी भी कार्मिक का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाना निदेशालय ने उचित नहीं माना है एवं इस कारण से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पदस्थापन आदेश को निरस्त किये जाने का आदेश निदेशालय द्वारा पारित किया गया है। चूंकि निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर नर्सिंग कार्मिकों के पदस्थापन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी है, ऐसे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापन आदेश दिनांक 02.12.2022 को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 09.12.2022 विधिपूर्ण एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश है एवं उसे त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता।

8. अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R